न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 60/2018 (2018/00144) वाद पत्र

अनवान

1–चोथमल पिता रामा कुम्हार निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा **वादी**

बनाम

1–तिलोक चन्द पिता रामा कुम्हार निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. मनीष दाधीच– **अधिवक्ता वादी**

निर्णय दिनांक 29.08.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1665 रकबा 0.42 है0, 1653 रकबा 0.24 है0, 1228/1 रकबा 0.06 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 686 पर स्थित है। वादी की उक्त आराजियात की सीमा से सटी हुई प्रतिवादीगण संख्या एक की आराजियात स्थित है प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन मुझ वादी की आराजियात में नाजायज दंखलदांजी करते हुए वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी संख्या 1228/1 रकबा 0.06 है0 भूमि में से 0.01500 है0 भूमि पर अवैद्य रूप से नाजायज कब्जा कर दिया एवं थोहरो की बाड लगा दी, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या एक को उनका अवैद्य कब्जा हटाने बाबत् कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने अवैद्य कब्जा हटाने से इन्कार करते हुए वादी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। जिस पर वादी ने प्रार्थनापत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजियात की पत्थरगढी करने का प्रार्थनापत्र न्यायालय सहायक जिलाधीस महोदय रायपुर के यहां प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 124/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 28.12.2015 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया। जिसकी पालना में दिनांक 24.06.2018 को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा वादी की आराजियात की पत्थरगढी कर मौका पर्चा बनाया व पत्थरगढी के रून्डे रूपवाये गये। वादी की आराजियात की पत्थरगढी की गई उसमें वादी की आराजी संख्या 1228/1 रकबा 0.06 है0 भूमि में से 0.01500 है0 भूमि पर अवैद्य रूप से नाजायज कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 का पाया गया। प्रमाण में मौका पर्चा साथ प्रस्तुत है। जिससे वादी प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी की आराजी संख्या 1228/1 रकबा 0.06 है0 भूमि मे से 0.01500 है0 भूमि पर अवैद्य रूप से व नाजायज कब्जे को हटा कर वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अवैद्य कब्जे का अंकन मौका पर्चा दिनांक 26.04.2018 से स्पष्ट है जिसे हटाया जाना न्यायोचित है। वादी ने प्रतिवादी संख्या एक को अवैध कब्जा हटाने बाबत् कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने अवैध कब्जा हटाने से इन्कार करते हुए वादी के साथ लड़ाई करने पर उतारू हो गये व धमकी दी कि हम कब्जा नहीं हटायेंगे। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 18.05.2018 को कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 अवैध कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया। जिससे वादी को वाद हेतु विवश होना पडा है। बिनाय वाद दिनांक 26.04.2018 को पत्थरगढी करते समय प्रतिवादी संख्या एक का वादी की आराजी संख्या 1228/1 रकबा 0.06 है0 भूमि मे से 0.01500 है0 भूमि पर अवैध रूप सें नाजायज कब्जा होने की जानकारी वादी को होने व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को अपना अवैद्य रूप से व नाजायज कब्जा हटाने बाबत् कहने की दिनांक 18.05.2018 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

और यह वाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या एक ने कब्जा मुझ वादी को सिरपूद नही किया व मुझ वादी की भूमि को नुकसान पहुँचा रहे है जिससे वादी को काफि नुकसान हो रहा है व वादी कास्त से वछिंत हो रहा है जिससे वादी प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा हटाये जाने तक क्षतिपुर्ति की राशि 5000 रू. प्रति फसल करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी की आराजी पर नाजायज कब्जा कर लेने से व प्रतिवादी संख्या 2 लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये हैं।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 21.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नही अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एकतरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। वाद अनुसार ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1228/1 रकबा 0.06 हे0 भूमि मेसे 0. 01500 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये अवैध कब्जे एंव अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1228/1 रकबा 0.06 हे0 भूमि मे से 0.01500 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये अवैध कब्जे एंव अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

गोविन्दसिंह
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:– 60/2018 (2018/00144) वाद पत्र

अनवान

1–चोथमल पिता रामा कुम्हार निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा — वादी

बनाम

1–तिलोक चन्द पिता रामा कुम्हार निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा — **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1228/1 रकबा 0.06 हे0 भूमि मे से 0.01500 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये अवैध कब्जे एंव अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख 29/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्दसिंह
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा